



कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, उत्तर शहडोल वनमण्डल (म.प्र.)

☎ - 07652-245167 ई-मेल- dfonshahdol@mpforest.org

क्रमांक/मा.चि./ 241

शहडोल/दिनांक 17/1/2019

प्रति,

✓ कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्रमांक-02
शहडोल (म.प्र.)

विषय :- शहडोल जिले के अन्तर्गत हिरवार माइको सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 1.423 हे. वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग में देने बावत्।

- संदर्भ :-**
1. मध्यप्रदेश शासन वन विभाग बल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ.-5/2011/2006/10-03 दिनांक 31.05.2014 एवं एफ.-5/2011/2006/10-3 दिनांक 02.06.2016 एवं एफ.-5/2011/2006/10-3 दिनांक 05.07.2018।
 2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष --भू प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ.-5/2019/10-11/110 दिनांक 14.01.2018।
 3. आपका पत्र क्रमांक/3704/कार्य/वन/2018 शहडोल, दिनांक 30.11.2018।
 4. कार्यालय वन वृत्त शहडोल का पत्र क्रमांक/मा.चि./2019/283 दिनांक 11.01.2019।

---000---

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र क्रमांक 03 से आपके द्वारा परिक्षेत्र पश्चिम ब्यौहारी के अन्तर्गत हिरवार माइको परियोजना हेतु 1.423 हे. वनक्षेत्र में निर्माण कार्य हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावित परियोजना में आ रहे वन क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	कक्ष क्र.	लंबाई (मी. में)	चौड़ाई (मी. में)	क्षेत्रफल (हे. में)
1	नहर लाईन	पी.-137	1740.00	5.50	0.957
2	नहर लाईन जी - 1	पी.-137	240.00	3.00	0.072
3	नहर लाईन जी - 1	पी.-137	560.00	3.00	0.168
4	नहर लाईन जी - 1	पी.-136	400.00	3.00	0.12
5	नहर लाईन जी - 2	पी.-137	10.00	4.00	0.004
6	बी. पी. टी. टैंक	पी.-137	40.00	20.00	0.08
7	पम्प हाउस	पी.-137	15.00	15.00	0.0225
योग					1.4235

प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल के पत्र क्रमांक/मा.चि./2019/283 दिनांक 11.01.2019 से परियोजना में अनुमोदन/अनुशंसा प्रदाय की गई है। मध्यप्रदेश शासन वन विभाग बल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ.-5/2011/2006/10-03 दिनांक 31.05.2014 एवं पत्र क्रमांक/एफ.-5/2011/2006/10-3 दिनांक 02.06.2016 एवं एफ.-5/2011/2006/10-03 दिनांक 05.07.2018 के अनुक्रम में शर्तानुसार सैध्दांतिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप अपवर्तित रहेगा, अर्थात् वह भूमि आरक्षित/संरक्षित/ग्राम/अवर्गीकृत/अन्य श्रेणी के वनों/वन आदि ही रहेगी।
2. आवेदक संस्था द्वारा केवल उतनी ही वन भूमि का उपयोग किया जावेगा, जितना की व्यपवर्तन प्रस्तावित हुआ है, अतिरिक्त वन भूमि का उपयोग करने पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) का उल्लंघन माना जावेगा।
3. परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान अथवा वन्यप्राणी अभ्यारण्य अथवा संरक्षित क्षेत्रों के बाहर होना चाहिए।
4. वन भूमि पर किसी भी प्रकार के श्रमिकों के द्वारा कैंप नहीं लगाये जायेंगे।
5. सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व वन भूमि पर कोई भी कार्य नहीं कराया जावेगा।
6. परियोजना के निर्माण में यदि किसी वन अधिनियम या वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा तो उसके लिये आवेदक संस्थान उत्तरदायी होंगे।
7. उपयोगकर्ता अभिकरण व्यपवर्तित भूमि तथा उसके चारों ओर क्षेत्र में स्थित जीव-जन्तुओं व वनस्पतियों को हानि वाले नुकसान के लिये जिम्मेदार रहेगा तथा उनको संरक्षित करने के लिये सभी आवश्यक उपाय भी करेगा।
8. परियोजना क्षेत्र में बसे हुए आदिम जाति एवं कृषि पूर्व समुदाय के मान्यता प्राप्त अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी।
9. वन क्षेत्र के अन्दर गिट्टी, मिट्टी, मुरुम, रेता आदि का संग्रहण एवं उत्खनन नहीं किया जायेगा।
10. आवेदक संस्थान द्वारा व्यपवर्तित वन भूमि पर काटे गये वृक्षों की संख्या से दुगुने वृक्षा परियोजना व्यय पर लगाये जायेंगे ताकि क्षेत्र हरा-भरा रहे। वृक्षा रोपण स्थल का चयन व चिन्हांकन वन विभाग द्वारा किया जावेगा (प्राथमिकता परियोजना स्थल के आस-पास ही हो) इस पौधा रोपण हेतु केवल स्थानीय मूल प्रजातियाँ का उपयोग किया जावेगा, वृक्ष यदि व्यपवर्तित भूमि पर लगाये गये हो तो राज्य वन विभाग के अनुमति के बिना उनको पालन नहीं किया जावेगा जो वृक्ष वन क्षेत्र से अन्यत्र लगाये जायेंगे वे भी वन विभाग की सम्पत्ति रहेंगे।
11. म.प्र. शासन मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12 सितम्बर 2008 के आदेश के अनुक्रम में परियोजना में उपयुक्त उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ईको वैल्यू श्रेणी के अन्तर्गत खुले वन एवं रिक्त क्षेत्र होने से एन.पी.वी. की राशि $1.423 \times 6.26 = 890798/-$ (आठ लाख नब्बे हजार सात सौ अन्तानवे रु.) मात्र उक्त राशि भारत सरकार के कैम्पामद में भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम करे एवं की गई जमा राशि की प्राप्ति से इस कार्यालय को अवगत करावे।
12. भविष्य में भारत सरकार/राज्य सरकार/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल द्वारा नेट प्रेजेंट वैल्यू की राशि या भविष्य में अंतर की राशि जो देय होगा उसे आवेदक संस्थान जमा करने हेतु बाध्य होगा।
13. भविष्य में भारत सरकार/राज्य सरकार/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल द्वारा दुगुने दिगंत वन क्षेत्र में वृक्षा रोपण कराई जाती है या संबंधित अन्य कोई शर्त लगाई जाती है तो आवेदक संस्था बाध्य होगी।
14. उक्त परियोजना कार्य के कारण यदि वन क्षेत्र में कोई नुकसान होता है तो आवेदक संस्थान द्वारा ऐसी क्षति की भरपाई की जावेगी।
15. वनों के संरक्षण अनुरक्षण तथा संवर्धन के हित में राज्य शासन/वन विभाग द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की गयी अन्य शर्तों का पालन आवेदक/संस्थान द्वारा किया जावेगा।

- 16 समय-समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक 202/1995 के अनुक्रम में प्रसारित आदेश एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुपालन में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अथवा म.प्र. शासन बल्लभ भवन भोपाल द्वारा प्रसारित आदेश/निर्देश का कड़ाई से पालन करने बावत् आवेदक संस्था बाध्यकारी होगे। अतः यूजर एजेंसी वन भूमि का उपयोग करते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के प्रति संवेदनशील एवं सचेत रहेंगे।
- 17 यदि भविष्य में शासन/विभाग द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो आवेदक संस्था उसे मानने के लिये बचनबद्ध होगा।

उपरोक्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन/वचनपत्र प्राप्त होने के बाद औपचारिक स्वीकृति पृथक से प्रदान की जावेगी। जब तक वन भूमि में कोई भी कार्य नहीं किया जावेगा।

(देवाशु शेखर)

वन मण्डलाधिकारी

उत्तर शहडोल वनमण्डल (म.प्र.)

शहडोल/दिनांक.....2019

पृ. क्रमांक/मा.चि./
प्रतिलिपि :-

- 1 अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म०प्र० भोपाल।
- 2 मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल म.प्र. की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 3 कलेक्टर जिला शहडोल म०प्र०।
- 4 उपवनमण्डलाधिकारी ब्यौहारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 5 वन परिक्षेत्राधिकारी पश्चिम ब्यौहारी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर लेख है कि उक्त परियोजना में 08 नग सागौन के वृक्ष (31 से 60 से.मी.) गोलाई के हैं, एवं शेष 261 नग (20 से.मी. गोलाई से कम) विभिन्न प्रकार के वृक्ष तथा 51 नग बांस भिरा झाड़ी के रूप में हैं, का नियमानुसार उपरोक्त पालन कार्य हेतु अग्रिम कार्यवाही करें।

वन मण्डलाधिकारी

उत्तर शहडोल वनमण्डल (म.प्र.)

शहडोल/दिनांक.....2019

पृ. क्रमांक/मा.चि./
प्रतिलिपि :-

- 1 अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म०प्र० भोपाल।
- 2 मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल म.प्र. की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 3 कलेक्टर जिला शहडोल म०प्र०।
- 4 उपवनमण्डलाधिकारी ब्यौहारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 5 वन परिक्षेत्राधिकारी पश्चिम ब्यौहारी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर लेख है कि उक्त परियोजना में 08 नग सागौन के वृक्ष (31 से 60 से.मी.) गोलाई के हैं, एवं शेष 261 नग (20 से.मी. गोलाई से कम) विभिन्न प्रकार के वृक्ष तथा 51 नग बांस भिरा झाड़ी के रूप में हैं, का नियमानुसार उपरोक्त पालन कार्य हेतु अग्रिम कार्यवाही करें।

वन मण्डलाधिकारी

उत्तर शहडोल वनमण्डल (म.प्र.)

नेट प्रोजेक्ट वैल्यू राशि मांग पत्रक

(उत्तर वन मण्डल शहडोल)

क.	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वनखण्ड का नाम आरक्षित / संरक्षित	वन कक्ष क्र.	वन क्षेत्र है. में	वन की इको वैल्यू श्रेणी	वन का घनत्व	नेट प्रेजेन्ट वैल्यू प्रति है. (लाख में)	कुल नेट प्रेजेन्ट राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	हिरवार माईको सिंचाई परियोजना	पश्चिम ब्यौहारी	पी.एफ. खडेह	पी. -136, 137	1.423	III ऊष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन	0.2	6.26	890798 / - (आठ लाख नब्बे हजार सात सौ अन्तानवे रु.)मात्र

वन मण्डलाधिकारी
उत्तर शहडोल वनमण्डल (म.प्र.)

क.	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वनखण्ड का नाम आरक्षित / संरक्षित	वन कक्ष क्र.	वन क्षेत्र है. में	वन की इको वैल्यू श्रेणी	वन का घनत्व	नेट प्रेजेन्ट वैल्यू प्रति है. (लाख में)	कुल नेट प्रेजेन्ट राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	हिरवार माईको सिंचाई परियोजना	पश्चिम ब्यौहारी	पी.एफ. खडेह	पी. -136, 137	1.423	III ऊष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन	0.2	6.26	890798 / - (आठ लाख नब्बे हजार सात सौ अन्तानवे रु.)मात्र

वन मण्डलाधिकारी
उत्तर शहडोल वनमण्डल (म.प्र.)